

गवाला से भेरणी मोटर मार्ग के प्रभावित वृक्षों की सूची वन पंचायत/सिविल भूमि

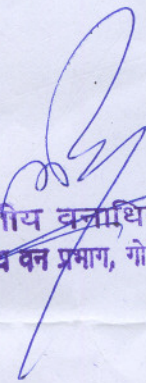
	0-10	10--20	20-30	30-40	40-50	50 above	
सेमल	0	0	1	0	0	1	2
कलमिण्डा	0	3	9	3	2	0	17
महुआ	0	3	9	4	2	0	18
रोहणी	0	3	2	4	0	0	9
बकैन	0	2	0	1	0	1	4
खड़ीक	0	1	1	0	0	0	2
भीमल	0	3	2	0	0	0	5
रीठा	0	0	1	0	0	0	1
ऑवला	0	2	0	0	0	0	2
कचनार	0	0	0	1	0	0	1
तिमला	0	0	0	1	0	0	1
तुन	0	0	0	0	0	2	2
सैणा	0	1	0	0	0	0	1
चीड़	3	56	70	38	26	16	209
अमरुद	12	0	0	0	0	0	12
हेडा	0	0	2	0	0	0	2
असीन	0	2	3	1	4	1	11
सांदण	0	0	0	0	0	0	0
अंयार	0	2	0	0	0	0	2
बॉज	0	6	3	0	0	0	9
बुरांश	0	0	1	0	0	0	1
फणियाद	0	0	0	0	0	1	1
	15	84	104	53	34	22	312

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
बमोली देम
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

गवाला से भेरणी मोटर मार्ग के प्रभावित वृक्षों की सूची नाप भूमि

	0-10	10--20	20-30	30-40	40-50	50 above	
सेमल	0	0	0	0	0	0	0
कलमिण्डा	0	0	0	0	0	0	0
महुआ	0	0	0	0	0	0	0
रोहणी	0	0	0	0	0	0	0
बकैन	0	0	0	0	0	0	0
खड़ीक	0	0	0	0	0	0	0
भीमल	0	1	0	1	0	0	2
रीठा	0	0	0	0	0	0	0
ऑवला	0	0	0	0	0	0	0
कचनार	0	0	1	0	0	0	1
तिमला	0	0	1	0	0	0	1
तुन	0	0	0	1	0	1	2
सैणा	0	0	0	0	0	0	0
चीड़	0	0	0	0	0	0	0
अमरुद	0	0	0	0	0	0	0
हेडा	0	0	0	0	0	0	0
असीन	0	0	0	0	0	0	0
सांदण	0	1	0	0	0	0	1
अंयार	0	0	0	0	0	0	0
बोंज	0	1	0	0	0	0	1
बुरांश	0	0	0	0	0	0	0
फणियाद	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	2	2	0	1	8


 प्रभागीय वन अधिकारी
 बड़ीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर


 वन सहायिका
 बड़ीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि. वि. को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित सिविल/वन पंचायत वन भूमि की लम्बाई 6110 मीटर, चौड़ाई 7.00 मीटर

कुल 42770 वर्ग मीटर अर्थात् 4.277 हे० है।

सिविल भूमि- लम्बाई- 1860 मी. चौड़ाई-7 मी. = 1.302 हे.

वन पंचायत- लम्बाई- 4250 मी. चौड़ाई 7 मी. = 2.975 हे.

नाप भूमि- लम्बाई- 1890 मी. चौड़ाई- 9 मी. = 1.700 हे.

अक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि = 0.680 हे०

प्रभारगीय वनाधिकारी
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 13 / 01 / 2014 ²⁰¹⁵

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 4.96 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Construction of Gwala to Bherni Motor Road Under Mukhya Mantri Ghoshna. falls within jurisdiction of Bherni Village in Chamoli Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.96 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

↓
Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)
जिला अधिकारी
चमोली

संख्या- 1110 / 11(2) / 14-52(प्र03फ0) / 2013

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2014

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 13 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 13 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 92.15 किमी० + 04 सेतु तथा लागत ₹ 577.32 लाख है, पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई ₹ 577.32 लाख (₹ पाँच करोड़ सत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य व्यय अर्थात् कुल 1.30 कार्य हेतु ₹ 1.30 लाख (₹ एक लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। शासनादेश सं०:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग चलिता दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन्डोपी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi)- यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो उसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)- प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान स0-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-753(A)/XXVII(2)/2013 दि0: 19 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्या:- (1)/III(2)/14-52(प्रा0आ0)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा से,

संख्या-395/2014-5/14

दि-26-02-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

अधीक्षक अभियन्ता के प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र), लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।

5 मार्च 2014

मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

सहायक अभियन्ता

प्रा0ख0लो0नि0वि0

देहरादून

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

574/वजल
दि. 13/3/14

संदेश संख्या:- 1110 / 111(2) / 14-52(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 20 फरवरी, 2014 का संलग्नक

प्र. मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०:-203/2013 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग एवं 60 मी० स्पान सेतु का निर्माण।	8.00 + 60mt	125.88 [₹ 51.00 + ₹ 74.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
प्र. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत तवाघाट से पीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	81.90	0.10
	92.15 + 04	577.32	1.30

(कुल ₹ एक लाख तीस हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिवकार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

पु० सं० 597/01 वजल-7/014 दि० 6/3/14

प्रतिलिपि:- आधिशासी अभियन्ता प्राचीन खण्ड
लो० नि० वि० कर्णप्रयाग को उम्मा ब्रासनेदेश की प्रति
सुदित सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
प्रतिलिपि- कनिष्ठ अभियन्ता प्रा० को सूचनाय एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि:- यसायाह को चमोली को गडि फइले हेतु

संलग्न- यद्योपारि.

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

928/वजल 18/3/014

- ① कामा प्रति सहायक अभियन्ता द्वितीय
- ② कामा प्रति कनिष्ठ अभि० (प्रा०)
- ③ कामा प्रति स्थानीय अमीन

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

आ. आ. 14

कारी
पेशवरी

लैन्ड शेड्यूल

.सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

परियोजना का नाम:-

मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भैरणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि. वि. को हस्तान्तरण।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा सं०	कुल रकबा	याचित क्षेत्रफल (हे०)
चमोली	कर्णप्रयाग	ग्वाला(सिविल)	4		0.150
		पूणकिला(सिविल)	6		1.024
		सिमलीमगरी (बन पंचायत)	7		1.736
		पाणीगैर (सिविल)	3		0.128
		भैरणी (वन पंचायत)	3		1.239
	मक डिस्पोजल हेतु क्षेत्रफल	सिमली (सिविल)	6		0.680
		योग:-			4.957

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

माल दत्त देवराडी
राजस्व उपनिरीक्षक
रा० उ० नि० क्ष०
तहसील.....
जिला-चमोली

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

उप जिलाधिकारी

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम— मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि. वि. को हस्तान्तरण।

2:- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में)	4.957 है.
आरक्षित वन भूमि—	— शून्य— हे.
सिविल एवं सोयम वन भूमि:-	1.982 हे.
वन पंचायती भूमि—	2.975 हैं.
निजी भूमि —	1.700 हे.

- 3:- प्रस्तावक विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग
- 4:- वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
- 5:- प्रस्ताव बांड़डिंग किया गया है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं

6:- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं

7:- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। ☒ हाँ / ☐ नहीं

8:- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है— ☒ हाँ / ☐ नहीं,

9:- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं,

10:- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / संलग्न है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं

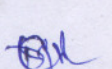
11:- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है— ☒ हाँ / ☐ नहीं

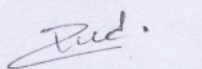
12:- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावत विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। ☒ हाँ / ☐ नहीं

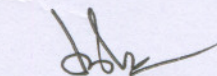
- 13:-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं,
- 14:- क्या वृक्षों की संख्या अनुसार हरियाली का घनत्व सही है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 15:- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 16:- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 17:- प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/ परियोजना के आस-पास रिक्त पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 18:- क्या परियोजना क्षेत्र बन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है:- ☐ हाँ / ☒ नहीं
- 19:- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:- ☐ हाँ / ☒ नहीं
- यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है- ☐ हाँ / ☒ नहीं
- 20:- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 21:- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें):- ☐ नया प्रस्तावित है।
- 22:- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 23:- यदि सडक का आरम्भिक विन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 24:- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है:- ☐ हाँ / ☒ नहीं

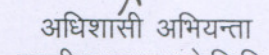
- 25:- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय:- हाँ/ नहीं ✓
- 26:- सडक निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:- ✓हाँ/ नहीं
- 27:- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय):-
- 28:- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):- ✓हाँ/ नहीं
- 29:- मानचित्र व वार चार्ट में एक रूपता है:- ✓हाँ/ नहीं
- 30:- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है:- ✓हाँ/ नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण -पत्र संलग्न है:- ✓हाँ/ नहीं
- 31:- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण -पत्र प्रस्ताव में संलग्न है:- ✓हाँ/ नहीं
- 32:- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है:- ✓हाँ/ नहीं
- 33:- यदि वन भूमि लीज पर दी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र, संलग्न है:- लागू नहीं
- 34:- वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है:- ✓हाँ/ नहीं
- 35:- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है:- ✓हाँ/ नहीं
- 36:- क्या वैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र -संलग्न:- ✓हाँ/ नहीं

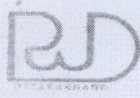
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण -पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठा अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर



Ph.No./Fax No - 01372-252173

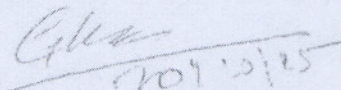
e-mail - sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक : 4704 / 24710 - 07 / 2015.

दिनांक: 20-10-2015

Authority Certificate

Mr. Jagdamba Prasad Raturi, Executive Engineer, Provincial Division, PWD Karanprayag is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).


20/10/15
Superintending Engineer
7th Circle, PWD,
Gopeshwar (Chamoli)